न्यायालय उप जिलाधिकारी हण्डिया, इलाहाबाद
वाद सं0 12 वर्ष 2009
कृष्ण कान्त पाण्डेय बनाम सरकार
मौजा शहबाजपुर, परगना—मह, तहसील—हण्डिया, जनपद—इलाहाबाद
अन्तर्गत धारा—143 ज0वि0

आदेश दि० 7.12.09

प्रस्तुत वाद कृष्ण कान्त पाण्डेय पुत्र श्री श्याम पाण्डेय निवासी ग्राम बरेठी, परगना—मह, तहसील—हण्डिया, इलाहाबाद प्रबन्धक शिवश्याम महाविद्यालय, शहबाजपुर, हनुमानगंज, इलाहाबाद के द्वारा योजित किया गया और अनुरोध किया गया कि ग्राम शहबाजपुर स्थित आराजी सं0 17 / 0.1260हे0, 38 / 0.0580हे0 43ख / 0.0520हे0, 68ख / 0.0440हे0, 188 / 0.3190हे0, 254 / 0.4470, 31 / 340 / 0.0680हे0, 253 / 0.4390हे0, 37 / 0.0580हे0, 247 / 0.02390हे0 का 1/2 भाग अर्थात् 0.9250हे0 यानि 9250 वर्गमीटर पर भवन बना है और उस पर खेती नहीं की जा रही है। इसलिए उसे अकृषिक घोषित कर दिया जाए। पत्रावली जांच हेतु भेजी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या प्राप्त हुई। जांच आख्या का विधिवत अवलोकन किया गया। जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में अवगत कराया है कि ग्राम शहबाजपुर स्थित आराजी सं0 17 / 0.1260हे0, 38 / 0.0580हे0 43ख / 0.0520हे0, 68ख / 0.0440हे0, 188 / 0.3190हे0, 254 / 0.4470, 31 / 340 / 0.0680हे0, 253 / 0.4390हे0, 37 / 0.0580हे0, 247 / 0.02390हे0 का 1/2 भाग अर्थात् 0.9250हे0 यानि 9250 वर्गमीटर शिवश्याम महाविद्यालय, शहबाजपुर, हनुमानगंज, इलाहाबाद के नाम अंकित है।

मैंने जांच अधिकारी की जाच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध नकल खतौनी वर्ष 1416 लगायत 1421 फसली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खतौनी व जांच अधिकारी की जांच आख्या के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि वादग्रस्त भूमि पर खेती नहीं की जाती है। उस पर शिक्षण संस्थान का भवन बन चुका है। इसलिए उसे अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। अकृषिक भूमि घोषित किये जाने योग्य है।

अतः ग्राम—शहबाजपुर, परगना—केवाई, तहसील—हण्डिया, जनपद इलाहाबाद स्थित आराजी संख्या 17 / 0.1260हे0, 38 / 0.0580हे0 43ख / 0.0520हे0, 68ख / 0.0440हे0, 188 / 0.3190हे0, 254 / 0.4470, 31 / 340 / 0.0680हे0, 253 / 0.4390हे0, 37 / 0.0580हे0, 247 / 0.02390हे0 का 1/2 भाग अर्थात् 0.9250हे0 यानि 9250 वर्गमीटर सम्पूर्ण भाग को शिवश्याम महाविद्यालय, शहबाजपुर, हनुमानगंज, इलाहाबाद द्वारा प्रबन्धक कृष्णकान्त पाण्डेय पुत्र श्री श्याम पाण्डेय की भूमि अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। परवाना अनलदरामद जारी हो। पत्रावली वाद ावश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक— 9/12/09

(शीतला प्रसाद)
उप जिलाधिकारी हण्डिया,
इलाहाबाद।

अभिलेखागार ... इलाहाबाद

दरख्वास्त देने का दिनांक 20/2/15
नकल तैयार होने का दिनांक 23/2/15
नकल जारी होने का दिनांक 23/2/15

23-2-15

प्रमाणित प्रतिलिपिकार

सवाल नं० ...
प्रार्थी का नाम ...
नकल न० ... 555
मिलान ...
शब्द ...
टिकट ...

Manish Kr Dubey
प्राचार्य
शिव श्याम ... कालेज

सत्य प्रतिलिपि

प्रबन्धक
शिव श्याम ... कालेज